**Complaints Lodged at Sholapur Central post/Telegraph office**

6591. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) how many complaints have been entered in the complaint book kept at Shoiapur Central Post Telegraph Office;

(b.) whether a Member of Parliament lodged a complaint in Shoiapur Central Post/Telegraph office during the year 1993-94; and

(c) if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) to (c)

*Information for postal side*

Three complaints were registered in the Complaint and Suggestion Book of Shoiapur Head Post Office during the year 1993-94. All the complaints have been replied. No complaint was found noted by a Member of Parliament.

*Information for Telecom, side*

During the last three years »4 complaints have been noted in the complaint book kept at Central Telegraph Office at Shoiapur. A complaint was recorded by Shri Prakashji Ambedkar, Member of Parliament. Departmental action has been taken against the delinquent official and the Hon'ble Member of Parliament apprised of the same.

**महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिंचाई बांड जारी किया जाना**

6592. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जनता से धन जुटाने हेतु सिंचाई बांड जारी करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान प्रायोगिक आधार पर 100 करोड़ रुपए के विशेष सिंचाई बांड जारी करने की स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं की क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की वर्तमान योजना केवल उन उपक्रमों तक सीमित है जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा शासित है। राज्य स्तर के उपक्रम "सेबी" द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा शासित होते हैं। राज्य सरकारों द्वारा लिए गए उधार, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक वित्तपोषण योजना की मानक अपेक्षाओं से शासित होते हैं।

**राष्ट्रीय आवास बैंक के पास मध्य प्रदेश सरकार का पक्के मकानों से संबंधित लम्बित पड़ा प्रस्ताव**

6593. **श्री गोविन्द राम मिरी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिये आवास उन्नयन योजना के अंतर्गत 11 नगर-पालिका/नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले कटनी, उज्जैन, सागर, खरगोन, दुर्ग, बुरहानपुर, रतलाम, खण्डवा, सीहोर, राजनंदगाव, एवं रायपुर में स्थित झुग्गियों की जगह पक्के मकान बनाने हेतु 1918.96 लाख रूपये की संस्वीकृति हेतु भेजी गई कोई योजना या प्रस्ताव राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली के पास लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश गंदी बस्ती सफाई बोर्ड (एम०पी०एस०बी०बी०) से मध्य प्रदेश राज्य में 11